

अध्याय-1

विहंगावलोकन

अध्याय-1

विहंगावलोकन

1.1 राज्य की रूपरेखा

उत्तराखण्ड 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से 46,035 वर्ग किलोमीटर पर्वतीय तथा 7,448 वर्ग किलोमीटर मैदानी क्षेत्र है। राज्य में 38,117 वर्ग किलोमीटर (71 प्रतिशत) वन क्षेत्र है। राज्य को 13 जिलों में संगठित किया गया है, जिसे 95 ब्लॉक, 110 उप-मंडलों और 15,745 बसे हुए गांवों में विभाजित किया गया है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तराखण्ड की जनसंख्या 1.01 करोड़ है, जिससे यह भारत का 20वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बन गया है। राज्य का जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है, जो कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी के राष्ट्रीय औसत से कम था।

सामाजिक संकेतक जैसे साक्षरता दर और जन्म के समय नवजात शिशु मृत्यु दर दर्शाते हैं कि राज्य में वर्ष 2023-24 में साक्षरता दर (78.80 प्रतिशत) तथा नवजात शिशु मृत्युदर (24 प्रति 1,000 जीवित जन्म) अखिल भारतीय औसत (73.00 प्रतिशत एवं 28 प्रति 1,000 जीवित जन्म) से बेहतर थी। राज्य में गरीबी रेखा (बी पी एल) से नीचे जनसंख्या 11.26 प्रतिशत थी, यह भी अखिल भारतीय औसत (21.92 प्रतिशत) से काफी कम थी (परिशिष्ट-1.1)।

1.1.1 उत्तराखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) एक निर्धारित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। स रा घ उ में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि यह एक समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए स रा घ उ में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधियों को सामान्यतः प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों से संबद्ध होते हैं।

राज्य में पिछले दशक में उल्लेखनीय आर्थिक विकास हुआ है और वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए वर्तमान मूल्यों पर इसके स रा घ उ और प्रति व्यक्ति स रा घ उ की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर) क्रमशः 8.85 प्रतिशत और

7.61 प्रतिशत रही। तथापि, यह अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (10.06 प्रतिशत) और अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (8.89 प्रतिशत) के सी ए जी आर से नीचे थी (परिशिष्ट-1.1)।

देश के स घ उ के सापेक्ष उत्तराखण्ड राज्य के स रा घ उ की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियों को तालिका-1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.1: प्रचलित दरों पर स घ उ तथा स रा घ उ में वृद्धि की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भारत					
स घ उ (2011-12 श्रृंखला)	2,01,03,593	1,98,54,096	2,35,97,399	2,69,49,646\$	2,95,35,667#
सकल मूल्य वर्धन (स म व)	1,83,81,117	1,82,10,997	2,16,35,584	2,46,59,041	2,67,62,147
वर्तमान मूल्यों पर पिछले वर्ष की तुलना में स घ उ की वृद्धि दर(प्रतिशत)	6.37	-1.24	18.85	14.21	9.60
वर्तमान मूल्यों पर पिछले वर्ष की तुलना में स म व की वृद्धि दर(प्रतिशत)	7.02	-0.93	18.81	13.97	8.53
प्रति व्यक्ति स घ उ (₹ में)	1,49,915	1,46,480	1,72,422	1,94,879	2,11,725
उत्तराखण्ड					
स रा घ उ (2011-12 श्रृंखला)	2,39,263	2,25,617	2,67,143♥	3,03,781♣	3,46,206♣
स रा म व	2,23,452	2,12,183	2,51,960	2,86,799	3,27,114
वर्तमान मूल्यों पर पिछले वर्ष की तुलना में स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	3.88	-5.70	18.41	13.71	13.97
वर्तमान मूल्यों पर पिछले वर्ष की तुलना में स रा म व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	4.73	-5.04	18.75	13.83	14.06
प्रति व्यक्ति स रा घ उ (₹ में)	2,13,304	1,98,851	2,32,947	2,62,174	2,95,751

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों से युक्त एस एफ ए आर संकलन।

\$ पहला संशोधित अनुमान, # अनंतिम अनुमान ♥ अनंतिम अनुमान, ♣ त्वरित अनुमान ♣ अग्रिम अनुमान

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान, वर्तमान मूल्यों पर स रा घ उ में 44.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय


स घ उ में 46.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, वर्तमान मूल्यों पर स रा घ उ 13.97 प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 3,03,781 करोड़ से वर्ष 2023-24 में ₹ 3,46,206 करोड़ हो गया था जबकि वर्तमान मूल्यों पर (सकल घरेलू उत्पाद) 9.60 प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 2,69,49,646 करोड़ से वर्ष 2023-24 में ₹ 2,95,35,667 करोड़ हो गया था। वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति स रा घ उ ₹ 2,95,751 थी जबकि देश की प्रति व्यक्ति स घ उ ₹ 2,11,725 थी। हालाँकि, वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति स रा घ उ में वृद्धि (38.65 प्रतिशत), इसी अवधि के दौरान देश की प्रति व्यक्ति स घ उ में वृद्धि (41.23 प्रतिशत) से कम थी। वर्ष 2019-20, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान भारत और उत्तराखण्ड दोनों के लिए प्रति व्यक्ति आंकलन (स घ उ और स रा घ उ) लगातार बढ़ रहा है, जो कि औसत आय स्तरों में सुधार का संकेत देते हैं। हालाँकि, वर्ष 2020-21 के दौरान इसमें गिरावट आई, ऐसा देश में कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण हो सकता है।

सकल मूल्य वर्धन (स म व) का उपयोग भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे आई एम एफ और विश्व बैंक द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जा रहा है क्योंकि स म व को स घ उ की तुलना में आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह करों और सब्सिडी के प्रभाव को अनदेखा करता है। जबकि स घ उ की गणना निजी खपत व्यय, सरकारी खपत व्यय और सकल स्थिर पूंजी निर्माण या निवेश व्यय सहित अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न व्ययों के कुल योग के रूप में की जा सकती है, और की भी जाती है, जो अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति को अनिवार्य रूप से दर्शाती है। दोनों आंकलनों में शुद्ध करों के उपचार में अंतर है, जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में करों का समावेश वास्तविक उत्पादन स्थिति से भिन्न हो सकता है। नीति निर्माता के दृष्टिकोण से, बेहतर विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप के लिए स म व और सकल राज्य मूल्य वर्धन (स रा म व) आंकड़ों की तुलना करना महत्वपूर्ण है।

भारत का स म व और उत्तराखण्ड का स रा म व दिए गए वर्षों में वृद्धि के उतार-चढ़ाव वाले रुझान को दर्शाता है। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान भारत की स म व वृद्धि दर (-)0.93 प्रतिशत से 18.81 प्रतिशत के बीच थी, जबकि उत्तराखण्ड की स रा म व वृद्धि दर (-)5.04 प्रतिशत से 18.75 प्रतिशत के बीच थी।

दोनों, स म व और स रा म व की वृद्धि दर में भिन्नता है, जिसमें कुछ वर्षों में अन्य वर्षों की तुलना में उच्च वृद्धि का अनुभव किया गया है। वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि में स म व (2021-22: 18.81 प्रतिशत, 2022-23: 13.97 प्रतिशत और 2023-24: 8.53 प्रतिशत) और स रा म व (2021-22: 18.75 प्रतिशत, 2022-23: 13.83 प्रतिशत और 2023-24: 14.06 प्रतिशत) दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो संभवतः इन वर्षों के दौरान आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि का संकेत देते हैं। वर्ष 2020-21 में स म व और स रा म व दोनों में नकारात्मक वृद्धि दर थी, जिसके लिए कोविड-19 महामारी या अन्य स्थानीय कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए स रा घ उ और स रा म व के प्रवृत्ति नीचे चार्ट-1.1 में दर्शाई गई है:




स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों से युक्त एस एफ ए आर संकलन।

1.1.2 सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रीय योगदान

चार्ट-1.2 दर्शाता है कि वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक पाँच साल की अवधि के दौरान, स रा म व में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के संबंधित अंश में वृद्धि तथा कृषि क्षेत्र में कमी हुई है। कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 2019-20 में 10.47 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 8.96 प्रतिशत हो गई। उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में 47.32 प्रतिशत से 2023-24 में 47.86 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी भी वर्ष 2019-20 में 42.22 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 43.17 प्रतिशत हो गई।


चार्ट-1.2: सकल राज्य मूल्य वर्धन (2019-20 से 2023-24) में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन



स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों से युक्त एस एफ ए आर संकलन।

चार्ट-1.3 दर्शाता है कि वर्ष 2023-24 के दौरान, सेवा क्षेत्रों की विकास दर में कमी देखी गई, जबकि कृषि और उद्योग क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में विकास दर में वृद्धि देखी गई। कृषि क्षेत्र ने फसल उपक्षेत्र में बढ़ती वृद्धि दर दिखाई जबकि इसने अन्य उपक्षेत्रों अर्थात् वानिकी और लॉगिंग तथा मत्स्यिकी और जलीय कृषि में कमी देखी गयी और पशुधन उप-क्षेत्र में मामूली गिरावट देखी गयी। उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण तथा बिजली, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपक्षेत्रों में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि देखी गई। सेवा क्षेत्र में, चार उप-क्षेत्रों अर्थात् (i) परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं, (ii) व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां (iii) लोक प्रशासन और (iv) अचल संपत्ति तथा वित्तीय सेवाओं में विगत वर्ष की तुलना में तीव्र गिरावट देखी गई। यद्यपि, सेवा-क्षेत्र के अंतर्गत उप-क्षेत्र अन्य सेवाओं में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई।

चार्ट-1.3: सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रीय वृद्धि



आँकड़ों के स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड।

♣-अनंतिम अनुमान, ♣-त्वरित अनुमान, ♥-अंतिम अनुमान

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के प्रावधानों के अनुसार, राज्य के लेखों से संबंधित, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि म ले प) के प्रतिवेदनों को राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसे उनके द्वारा राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाया जाता है। 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उत्तराखण्ड के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत उत्तराखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले ऐसे लेखों को रखने के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रदान किए गए वाउचर, चालान और प्रारंभिक एवं सहायक लेखों और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से प्रति वर्ष राज्य के वित्त लेखों और विनियोग लेखों को तैयार करता है। इन लेखों की लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाती है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है। वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के लिए मुख्य आँकड़े निर्मित करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट, आँकड़ों के एक महत्वपूर्ण स्रोत है-राजकोषीय मापदंडों और अनुमानों की तुलना में आवंटित प्राथमिकताओं का आकलन करने के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावकारिता और संबंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए;
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड के कार्यालय द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय अधिकारियों और कोषागारों (लेखांकन के साथ-साथ प्रबंधन सूचना प्रणाली) के साथ अन्य आँकड़े;
- स रा घ उ के आँकड़े और अन्य राज्य से संबंधित सांख्यिकी; और
- वर्ष 2019-24 के दौरान भारत के नि म ले प के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का यथोचित उपयोग भी इस विश्लेषण/टिप्पणी को तैयार करने के लिए किया गया है।
- यथा आवश्यक, राज्य सरकार से भी सूचना प्राप्त की गई।

यह विश्लेषण, पंद्रहवें वित्त आयोग (एफ एफ सी) की सिफारिशों, उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (यू एफ आर बी एम) अधिनियम 2023, भारत सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशा-निर्देशों के संदर्भ में किया गया है। सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन के साथ सितम्बर 2024 में एक प्रवेश गोष्ठी का

आयोजन किया गया था, जिस में लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को समझाया गया। प्रारूप प्रतिवेदन जनवरी 2025 में टिप्पणियों के लिए राज्य सरकार को प्रेषित किया गया और फरवरी 2025 में बहिर्गमन गोष्ठी की गयी जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। सरकार के उत्तर इस प्रतिवेदन में उचित स्थानों पर शामिल किए गए हैं।

1.3 सरकारी लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन के अध्याय-2 में दिए गए राज्य सरकार के वित्त के विश्लेषण का अध्ययन करने के लिए सरकारी लेखों की संरचना को समझना आवश्यक है। राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है:

1. राज्य की समेकित निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1)}

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा जुटाए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और राज्य सरकार द्वारा दिये गए ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त सभी धनराशि शामिल हैं। इस निधि से विधि के अनुसार तथा उद्देश्यों के लिए और भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त रीति के अतिरिक्त कोई भी धनराशि विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (उदाहरण के लिए, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान आदि), राज्य की समेकित निधि (भारत व्यय) पर भारित होती हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। अन्य सभी व्यय पर (दत्तमत व्यय) विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 267 (2)}

यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की होती है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा कानून के अंतर्गत स्थापित किया गया है तथा इसे ऐसे अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम प्रदान करने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है, जिस पर राज्य विधानमंडल की स्वीकृति लंबित हो। इस निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से संबंधित क्रियाशील मुख्य शीर्ष से व्यय को नामें करते हुए की जाती है।

3. राज्य के लोक लेखा { भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (2)}

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, जहाँ सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखे में जमा किया जाता है। लोक लेखे के अंतर्गत देनदारियाँ जैसे लघु बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण और उचंतशीर्ष (दोनों ही अंतिम लेखांकन होने तक अस्थायी शीर्ष हैं) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष राशि भी लोक लेखा के अंतर्गत शामिल की गयी है। लोक लेखा विधानमंडल के मत के अधीन नहीं है।

बजट दस्तावेज़

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज़ का गठन करता है। इसके अतिरिक्त, बजट में राजस्व लेखों के व्यय को अन्य व्यय से अलग करना आवश्यक होता है।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (स्वयं का कर राजस्व और केंद्रीय करों/शुल्कों का हिस्सा), गैर-कर राजस्व और भारत सरकार से अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता है। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाओं के लिए किए गए व्ययों, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदानों से संबंधित है (यद्यपि कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हो सकते हैं)।

पूँजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित हैं:

- **लोक ऋण प्राप्तियाँ:** बाजार ऋण, बॉण्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थात्पाय अग्रिम के अंतर्गत शुद्ध लेन-देन, केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम आदि;
- **गैर-ऋण प्राप्तियाँ:** विनिवेश से आय, ऋण और अग्रिमों की वसूली;

पूँजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सा क्षेत्र 3) और अन्य पक्षों को सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर होने वाला व्यय शामिल है।


वर्तमान में, हमारे पास सरकार में एक लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

	लेन-देन की विशेषता	वर्गीकरण
महालेखानियंत्रक की मुख्य और लघु शीर्ष की सूची में मानकीकृत	कार्य-शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि/विभाग	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (4 अंक)
	उप-कार्य	उप मुख्य शीर्ष (2 अंक)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंक)
राज्यों के लिए छूट	योजना	उपशीर्ष (2-अंक)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2 अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	वस्तु शीर्ष-वेतन, लघु कार्य आदि (2-अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के उद्देश्य की जानकारी देता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूँजी, ऋण, आदि के रूप में व्यवस्थित करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय मुख्य शीर्षों के

पहले अंक में सन्निहित संख्या से तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों के लिए, 2 और 3 राजस्व व्यय, आदि के लिए है। आर्थिक वर्गीकरण एक अंतर्निहित परिभाषा और कुछ वस्तु शीर्षों के वितरण के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः "वेतन" वस्तु शीर्ष राजस्व व्यय है, "निर्माण" वस्तु शीर्ष पूँजीगत व्यय है। वस्तु शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

सरकारी लेखों की संरचना



सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक देयता

इस प्रतिवेदन में सार्वजनिक ऋण में बाजार उधार, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन एस एस एफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए

ऋण आदि को शामिल किया गया है। इस प्रयोजन हेतु मुख्य शीर्ष-6003 और 6004 सार्वजनिक ऋण को लिया गया है।

इसके अतिरिक्त, लोक लेखे के अंतर्गत 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि', 'आरक्षित निधियां' और 'जमा और अग्रिम' से संबंधित ऐसे लेन-देन ऐसे होते हैं जिसमें सरकार पर प्राप्त धनराशि को चुकाने का दायित्व होता है अथवा भुगतान की गई राशियों की वसूली का दावा किया जाता है। लोक लेखा के अंतर्गत 'प्रेषण' और 'उचंत' से संबन्धित लेन-देन में केवल समायोजन शीर्ष शामिल होते हैं, जैसे की कोषागारों और मुद्रा तिजोरियों के बीच नकदी का प्रेषण और विभिन्न लेखा मंडलों के बीच अंतरण जैसे लेन-देन।

इस प्रतिवेदन में सार्वजनिक देयता के अंतर्गत 'लघु बचत, भविष्य निधि,आदि.', 'आरक्षित निधि' और 'जमा एवं अग्रिम' से संबंधित प्रमुख शीर्षों 8001 से 8554 के अंतर्गत लेन-देनों के साथ-साथ प्रमुख शीर्षों 6003 और 6004 के अंतर्गत लेन-देनों को शामिल किया गया है।

बजटीय प्रक्रियाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 203 के अंतर्गत, यह विवरण अनुदान/विनियोगों की मांग के रूप में राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के बाद संचित निधि में से अपेक्षित धन का विनियोग उपलब्ध कराने के लिए विधानमण्डल द्वारा अनुच्छेद 204 के अंतर्गत विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। उत्तराखण्ड राज्य बजट नियमावली में बजट निर्माण प्रक्रिया का ब्यौरा और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमान तैयार करने और उसकी व्यय गतिविधियों का अनुवीक्षण करने के दिशानिर्देश दिये गये हैं। बजट की लेखापरीक्षा जाँच और राज्य सरकार के अन्य बजटीय पहलुओं के कार्यान्वयन के परिणाम इस प्रतिवेदन के अध्याय-3 में वर्णित हैं।

1.3.1 वित्त का सार

तालिका-1.2 वर्ष 2022-23 के वास्तविक आंकड़ों तथा वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक आंकड़ों की तुलना के वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करती है।

तालिका-1.2: बजट के सापेक्ष वास्तविक आंकड़ों की तुलना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2022-23 (वास्तविक आंकड़े)	2023-24 (बजट अनुमान)	2023-24 (वास्तविक आंकड़े)	ब अ से वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता	स रा घ उ से वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता
1.	कर राजस्व	27,719	31,403	31,873	101.50	9.21
(i)	करेत्तर राजस्व	17,102	19,983	19,245	96.31	5.56
(ii)	केंद्रीय करों/ शुल्क का अंश	10,617	11,420	12,628	110.58	3.65
2.	करेत्तर राजस्व	4,367	4,762	4,418	92.78	1.28
3.	सहायता अनुदान और योगदान	16,997	20,893	14,324	68.56	4.14
4.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	49,083	57,058	50,615	88.71	14.62
5.	ऋण और अग्रिमों की वसूली	17	75	16	21.33	0.00
6.	अन्य प्राप्तियाँ	12	0	0	0.00	0.00
7.	उधार और अन्य देनदारियाँ(क)	2,949	9,047	7,749	85.65	2.24
8.	पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	2,978	9,122	7,765	85.12	2.24
9.	कुल प्राप्तियाँ (4+8)	52,061	66,180	58,380	88.21	16.86
10.	राजस्व व्यय	43,773	52,748	47,274	89.62	13.65
11.	ब्याज भुगतान	5,104	6,161	5,192	84.27	1.50
12.	पूँजीगत व्यय	8,288	13,432	11,106	82.68	3.21
13.	पूँजीगत परिव्यय	8,194	13,134	10,982	83.62	3.17
14.	ऋण और अग्रिम	94	298	124	41.61	0.04
15.	कुल व्यय (10+12)	52,061	66,180	58,380	88.21	16.86
16.	राजस्व घाटा / आधिक्य (-/+) (4-10)	5,310	4,310	3,341	77.52	0.97
17.	राजकोषीय घाटा {15-(4+5+6)}	2,949	9,047	7,749	85.65	2.24
18.	प्राथमिक घाटा/आधिक्य (-/+)(17-11)	2,155	2,886	(-) 2,557	88.60	(-) 0.74

स्रोत: वित्त लेखे।

(क) उधार और अन्य देनदारियाँ: निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ-वितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखा का निवल (प्राप्तियाँ-वितरण) + आरंभिक रोकड़ शेष तथा निवल रोकड़ शेष।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में तीन प्रतिशत बढ़ीं परंतु बजट अनुमानों से 11 प्रतिशत कम रहीं। चालू वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (₹ 47,274 करोड़), की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 50,615 करोड़) अधिक थीं, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3,341 करोड़ का राजस्व अधिशेष हुआ।

1.3.2 सरकार की परिसंपत्तियाँ और देयताओं का सार

सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों और किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियों को परिलक्षित करते हैं। परिशिष्ट-1.2 में 31 मार्च 2024 तक ऐसी देनदारियों और परिसंपत्तियों का सार दिया गया है, जो पिछले वर्ष की इसी स्थिति की तुलना में है। दायित्वों में मुख्य रूप से आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, लोक लेखों और आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ शामिल हैं, और परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम और नकद शेष

शामिल हैं। राज्य की परिसंपत्तियों और दायित्वों की सारांशित स्थिति तालिका-1.3 में दी गई है:

तालिका-1.3: परिसंपत्तियों और दायित्वों की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

दायित्वों					परिसंपत्तियाँ				
	2022-23	2023-24	प्रतिशत में बदलाव		2022-23	2023-24	प्रतिशत में बदलाव		
समेकित निधि									
अ	आंतरिक ऋण	53,558.43	57,378.79	7.13	अ	सकल पूँजी परिव्यय	80,053.48	91,035.28	13.72
ब	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम*	8,600.36	10,581.95	23.04	ब	ऋण एवं अग्रिम	2,454.61	2,562.89	4.41
	आकस्मिकता निधि	321.50	191.19	-40.53					
लोक लेखा									
अ	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	9,453.58	9,671.23	2.30		अग्रिम	0.42	0.42	0.00
ब	जमा	3,880.65	4,463.33	15.02		नकद शेष (चिन्हित निधि में निवेश सहित)	2,318.65	1,804.76	-22.16
स	आरक्षित निधि	4,824.64	5,738.12	18.93					
द	उंचत और विविध	208.80	60.95	-70.81		योग	84,827.16	95,403.35	12.47
य	प्रेषण	88.23	85.74	-2.82		व्यय पर प्राप्ति की संचयी अधिकता	-3,890.97	-7,232.05	-85.87
	योग	80,936.19	88,171.30	8.94		योग	80,936.19	88,171.30	8.94

स्रोत: वित्त लेखे।

इसमें, वित्त वर्ष 2021-22 तक भारत सरकार से प्राप्त जी एस टी मुआवजे की कमी के बदले में ₹ 5649 करोड़ का बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल हैं।

1.4 राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

जब सरकार राजस्व संग्रह से अधिक खर्च करती है, तो उसे घाटा होता है। सरकारी घाटे को मापने हेतु विभिन्न मापक हैं।

घाटे का वित्तपोषण उधार लेकर किया जाता है जो कि सरकारी ऋण को बढ़ाता है। घाटे और ऋण की अवधारणाओं का गहरा संबंध है। घाटे को एक प्रवाह के रूप में माना जा सकता है जो ऋण के भार में वृद्धि करता है। यदि सरकार हर वर्ष कर्ज लेती रहेगी तो इससे कर्ज बढ़ेगा और सरकार को ब्याज के रूप में ज्यादा से ज्यादा भुगतान करना होगा। ये ब्याज भुगतान भी स्वयं ऋण को बढ़ाते हैं।

ऋण लेकर सरकार भावी पीढ़ी पर कम खपत का बोझ स्थानांतरित करती है। इसका कारण यह है कि यह वर्तमान में रह रहे लोगों को बॉण्ड जारी करके उधार लेती है लेकिन करों में वृद्धि या व्यय को कम करके कुछ वर्षों बाद बॉण्ड का भुगतान करने का निर्णय ले सकती है। साथ ही सरकार द्वारा लोगों से उधार लेने से निजी क्षेत्र को उपलब्ध बचत भी कम हो जाती है। इससे पूँजीगत निर्माण और वृद्धि इस हद तक कम हो जाती है कि ऋण भावी पीढ़ी पर 'बोझ' के रूप में कार्य करता है।

हालाँकि, अगर सरकारी घाटा उत्पादन बढ़ाने के अपने लक्ष्य में सफल होता है, तो अधिक आय होगी और इसलिए अधिक बचत होगी। इस मामले में, सरकार और उद्योग दोनों ही ज्यादा ऋण ले सकते हैं। साथ ही, यदि सरकार बुनियादी ढाँचे में निवेश करती है, तो आने वाली पीढ़ियाँ बेहतर हो सकती हैं, बशर्ते ऐसे निवेशों पर रिटर्न ब्याज दर से अधिक हो। उत्पादन में वृद्धि से वास्तविक ऋण का भुगतान किया जा सकता है। इस स्थिति में ऋण को बोझ नहीं माना जाना चाहिए। ऋण में वृद्धि को समग्र रूप से अर्थव्यवस्था (राज्य के स घ उ) की वृद्धि से आंका जाना चाहिए।

करों में वृद्धि या खर्च में कमी से सरकारी घाटे को कम किया जा सकता है। हालाँकि, अधिक बल सरकारी खर्च में कमी की ओर रहता है। इसे कार्यक्रमों की बेहतर योजना और बेहतर प्रशासन के माध्यम से सरकारी गतिविधियों को और अधिक कुशल बनाकर हासिल किया जा सकता है।

1.4.1 प्रमुख राजकोषीय मापदंडों पर एफ आर बी एम लक्ष्य व उनके सापेक्ष उपलब्धियाँ

राजकोषीय प्रबंधन में विवेकशीलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 (एफ आर बी एम) पारित किया था, जो कि वर्ष 2011, 2016, 2020 एवं 2023 में संशोधित किया गया। इसे राजस्व घाटे को समाप्त करके, राजकोषीय घाटे और समग्र/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक कम करके, बेहतर ऋण प्रबंधन स्थापित करके तथा मध्यावधि ढाँचे की पारदर्शिता में सुधार करके किया जाना था। इस संदर्भ में, एफ आर बी एम अधिनियम में घाटे के उपायों और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्यों का प्रावधान है।

भारत सरकार एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार, केंद्र सरकार ने ऋण की अपनी परिभाषा का विस्तार किया। एफ आर बी एम अधिनियम में 2018 में किए गए संशोधन के अनुसार ऋण में अब लोक ऋण (आंतरिक और बाहरी ऋण), लोक लेखे पर कुल बकाया देनदारियाँ और केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी भी निकाय कॉर्पोरेट या अन्य इकाई की ऐसी वित्तीय देनदारियाँ शामिल हैं, जिन्हें सरकार को चुकाना है या उस तिथि के अंत में वार्षिक वित्तीय विवरण (वा वि वि) के नकद शेष राशि से कम करके दिखाना है।

उत्तराखण्ड एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 के अनुसार कुल बकाया ऋण/ देनदारियों में केवल राज्य की संचित निधि और राज्य के लोक लेखे की देनदारियां शामिल हैं।

वर्ष 2011 में एफ आर बी एम अधिनियम में संशोधन के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष 2013-14 तक राजकोषीय घाटे को प्राक्कलित स रा घ उ के तीन प्रतिशत तक कम करना और उसके बाद इसी स्तर को बनाए रखना था। वर्ष 2016 में संशोधित एफ आर बी एम अधिनियम में राजस्व घाटे हेतु किसी लक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में यह भी परिकल्पना की गयी थी कि राज्य सरकार कुल बकाया ऋण को स रा घ उ के 25 प्रतिशत तक सीमित करेगी।

जुलाई 2020 में एफ आर बी एम अधिनियम में हुए संशोधन में पंद्रहवें वित्त आयोग (एफ एफ सी) की सिफारिशों, जो वर्ष 2020-21 के लिए राज्य को अनुशंसित राजकोषीय घाटे की सीमा से संबन्धित थी, को समाहित किया गया। अधिनियम के अनुसार, राज्य का राजकोषीय घाटा स रा घ उ के तीन प्रतिशत की वार्षिक सीमा की स्थिरता प्रदान करेगा। राज्य को वर्ष 2020-21 के लिए स रा घ उ की 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा मिल सकती है।

एफ एफ सी की सिफारिशों और भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने एफ एफ सी द्वारा दिए गए राजकोषीय घाटे के सांकेतिक मार्ग का पालन करने के लिए अप्रैल 2023 में अपने एफ आर बी एम अधिनियम में संशोधन किया। एफ आर बी एम अधिनियम में, एफ एफ सी की अवधि सीमा वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान राज्य के लिए अनुशंसित राजकोषीय घाटे की सीमा से संबंधित सिफारिशें शामिल थीं। एफ आर बी एम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों के निरंतर अनुपालन के साथ स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में राज्य का राजकोषीय घाटा कम हो जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए स रा घ उ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के प्रतिशत के रूप में राज्य का राजकोषीय घाटा क्रमशः 4.00, 3.50 और 3.00 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, एफ आर बी एम (संशोधन) अधिनियम, 2023 में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) के प्रतिशत के रूप में कुल देनदारियां क्रमशः 32.60, 33.30 और 33.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।

एफ आर बी एम (संशोधन) अधिनियम 2023 में परिकल्पित प्रमुख राजकोषीय मापदंडों से संबंधित लक्ष्य और वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान उनकी उपलब्धि तालिका-1.4 में दी गई है।

तालिका-1.4: एफ आर बी एम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदंड ¹		उपलब्धि (₹ करोड़ में)				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	लक्ष्य	0	0	0	0	0
	उपलब्धि	(-) 2,136	(+) 1,114	(+) 4,128	(+) 5,310	(+) 3,341
		X	✓	✓	✓	✓
राजकोषीय घाटा(-)/अधिशेष (+) (स रा घ उ की प्रतिशतता के रूप में)	लक्ष्य	3.00	3.50	4.00	3.50	3.00
	उपलब्धि	(-) 7,657 (-3.20)	(-) 5,439 (-2.41)	(-) 3,736 (-1.40)	(-) 2,949 (-0.97)	(-)7,749 (-2.24)
		X	✓	✓	✓	✓
कुल बकाया ऋण का स रा घ उ से अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	25	25	32.60	33.30	33.10
	उपलब्धि	27.58	31.66*	26.72*	23.98*	23.18*
		X	X	✓	✓	✓

स्रोत: वित्त लेखे और एफ आर बी एम अधिनियम & पंद्रहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन।

*इसमें भारत सरकार से प्राप्त जी एस टी मुआवजे की कमी के बदले में वर्ष 2021-22 तक प्राप्त ₹ 5,649 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण को शामिल नहीं किया गया है, जिसे भारत सरकार के स्पष्टीकरण² के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य का ऋण नहीं माना जाना था।

राज्य वर्ष 2019-20 में राजस्व अधिशेष के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया था लेकिन वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान सफल रहा था। इसी प्रकार वर्ष 2019-20 के दौरान राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका, परंतु वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 में यह लक्ष्य प्राप्त करने में राज्य सफल रहा था।

वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान राज्य का बकाया ऋण स रा घ उ के 25 प्रतिशत के एफ आर बी एम लक्ष्य से ऊपर रहा, यानी यह एफ आर बी एम अधिनियम में निर्धारित मानदंडों से क्रमशः 2.58 प्रतिशत और 6.66 प्रतिशत अधिक था। हालांकि, वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के दौरान स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में बकाया ऋण एफ आर बी एम लक्ष्य 32.60 प्रतिशत और 33.30 प्रतिशत और 33.10 प्रतिशत से क्रमशः 5.88 प्रतिशत और 9.32 प्रतिशत और 9.92 प्रतिशत कम था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान सरकार ने तथ्यों व आंकड़ों को स्वीकार कर लिया।

¹ प्रतिवेदन का प्रस्तर 1.5, राजस्व और पूंजी के बीच गलत वर्गीकरण, उपकर के गैर-हस्तांतरण और आरक्षित निधि में कम योगदान आदि पर विचार करने के बाद आर डी, एफ डी और बकाया देनदारियों में लेखापरीक्षा के बाद के कारकों को दर्शाता है।

² भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का पत्र क्रमांक एफ 40 (1) पी एफ - एस / 2021-22 दिनांक 10 दिसंबर 2021।

1.4.2 मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना

एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वार्षिक बजट के साथ-साथ पंचवर्षीय राजकोषीय योजना राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है। मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण (एम टी एफ पी एस) निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए पाँच वर्ष का रोलिंग लक्ष्य निर्धारित करती है।

तालिका-1.5 राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत एम टी एफ पी एस में वर्ष 2023-24 के लिए किए गए अनुमानों तथा वास्तविक आंकड़ों के मध्य अंतर को प्रदर्शित करता है।

तालिका-1.5: वर्ष 2023-24 के लिए एम टी एफ पी में अनुमान की तुलना में वास्तविक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजकोषीय चर	एम टी एफ पी एस के अनुसार अनुमान	वास्तविक (2023-24)	भिन्नता (प्रतिशत में)
1.	स्वयं कर राजस्व	19,620	19,245	-1.91
2.	करेत्तर राजस्व	4,175	4,418	5.82
3.	केंद्रीय करों का अंश	12,348	12,628	2.27
4.	भारत सरकार से अनुदान	18,483	14,324	-22.50
5.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	54,626	50,615	-7.34
6.	राजस्व व्यय	51,585	47,274	-8.36
7.	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (5-6)	3,041	3,341	9.87
8.	राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+)	-7,459	-7,749	-3.89
9.	स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	2.15	2.24	0.09
10.	ऋण- स रा घ उ अनुपात (प्रतिशत)	24.91	23.18*	-1.73
11.	चालू कीमतों पर स रा घ उ की वृद्धि दर(प्रतिशत)	13.97	13.97	0.00

स्रोत: वित्त लेखे और उत्तराखण्ड के बजट दस्तावेज 2023-24।

*इसमें जी एस टी मुआवजे की कमी के बदले, वर्ष 2020-21 से 2021-22 के मध्य भारत सरकार से प्राप्त ₹ 5,649 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण को सम्मिलित नहीं किया गया है।


जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, राज्य ने वर्ष 2023-24 के दौरान एम टी एफ पी एस में ₹ 3,041 करोड़ का राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया था, जिसके सापेक्ष राज्य को ₹ 3,341 करोड़ का अधिशेष प्राप्त हुआ, जो कि अनुमान से 9.87 प्रतिशत अधिक था। इसी प्रकार, एम टी एफ पी एस में अनुमानित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य ₹ 7,459 करोड़ था जिसके सापेक्ष ₹ 7,749 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ, यह एम टी एफ पी एस में निर्धारित लक्ष्यों से 3.89 प्रतिशत अधिक था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023-24 के दौरान स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा

भी एम टी एफ पी एस में निर्धारित लक्ष्यों से 0.09 प्रतिशत अधिक था। ऋण-स रा घ उ अनुपात से संबंधित अनुमान भी पूरा कर लिया गया था, क्योंकि वर्ष का अंत, ऋण से स रा घ उ अनुपात में कमी के साथ हुआ था और यह एम टी एफ पी एस में अनुमानित लक्ष्यों से 1.73 प्रतिशत कम था।

1.4.3 घाटे/ अधिशेष की प्रवृत्तियाँ

राज्य प्रमुख वित्तीय मापदंडों के संबंध में वर्ष 2023-24 के दौरान एफ एफ सी द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम था। वर्ष 2023-24 के दौरान इसका राजकोषीय घाटा ₹ 7,749 करोड़ था, जो स रा घ उ का 2.24 प्रतिशत है। वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 2,155 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष³ चालू वर्ष के दौरान ₹ 2,557 करोड़ के प्राथमिक घाटे में बदल गया, और वर्ष 2022-23 में ₹ 5,310 करोड़ का राजस्व अधिशेष वर्ष 2023-24 के दौरान घटकर ₹ 3,341 करोड़ रह गया। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक पांच साल की अवधि में इन अधिशेष/घाटे की प्रवृत्ति को चार्ट-1.4 में दर्शाया गया है और स रा घ उ के सापेक्ष घाटे की प्रवृत्ति चार्ट-1.5 में दी गई है। राजकोषीय देनदारियों का घटक और प्रवृत्ति तथा स रा घ उ में इसका प्रतिशत भी चार्ट-1.6 में दिया गया है।


चार्ट-1.4: घाटे के मापदंडों की प्रवृत्तियाँ



स्रोत: वित्त लेखे।


³ प्राथमिक अधिशेष सरकारी राजस्व और सरकारी व्यय के बीच का अंतर है, जिसमें ऋण पर ब्याज भुगतान शामिल नहीं है।

चार्ट-1.5: स रा घ उ के सापेक्ष घाटे की प्रवृत्तियाँ



स्रोत: वित्त लेखे।

चार्ट-1.6: राजकोषीय देनदारियाँ और स रा घ उ की प्रवृत्तियाँ



स्रोत: वित्त लेखे।

*इसमें भारत सरकार से प्राप्त जी एस टी मुआवजे की कमी के बदले वर्ष 2021-22 तक ₹ 5,649 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल नहीं हैं।

जैसा कि ऊपर दिए गए ग्राफ से देखा जा सकता है, पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल बकाया देनदारियाँ 21.65 प्रतिशत (जी एस टी मुआवजे के बदले भारत सरकार से प्राप्त बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर) बढ़ीं और वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान एफ आर बी एम लक्ष्य से ऊपर थीं। हालाँकि, यह वर्ष 2021-22 से वर्ष

2023-24 के दौरान एफ आर बी एम लक्ष्य 32.60 प्रतिशत, 33.30 प्रतिशत और 33.10 प्रतिशत से नीचे थी।

1.4.4 भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार उधार लेने के संबंध में राज्य सरकार का प्रदर्शन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि कोई राज्य, भारत सरकार (भा स) की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता है यदि ऋण का कोई भी हिस्सा, जो भारत सरकार द्वारा राज्य को दिया गया है, अब भी बकाया है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखण्ड राज्य सरकार की शुद्ध उधार सीमा ₹ 9,871.00 करोड़ निर्धारित की (मार्च 2023) और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी स्रोतों से उसकी वृद्धिशील उधारी इस सीमा के भीतर बनी रहे।

ऊर्जा क्षेत्र में कुछ निष्पादन मानदंडों के आधार पर राज्य को स रा घ उ के 3.00 प्रतिशत की उपर्युक्त सीमा से 0.50 प्रतिशत⁴ की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी जानी थी। उक्त शुद्ध उधार सीमा (एन बी सी) में उधार के सभी स्रोत शामिल हैं , जिसमें खुले बाजार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से निगोसिएशन के जरिए लिए गए ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि ऋण, ई ए पी ऋण सहित केंद्र सरकार के ऋण, लघु बचत के अन्तर्गत लोक लेखे हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली अन्य देनदारियां, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा आदि शामिल हैं, जैसा कि राज्य के वित्त लेखों के विवरण 6 में दर्शाया गया है।

वित्त लेखों के विवरण 6 (उधार और अन्य देनदारियों का विवरण) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार की वृद्धिशील उधार और अन्य देनदारियां ₹ 7,406 करोड़ (संशोधित स रा घ उ का 2.14 प्रतिशत) थीं जो स रा घ उ के 3.00 प्रतिशत (₹ 3,46,206 करोड़) की उधार सीमा के भीतर रही।

⁴ राज्य सरकार ने जी एस डी पी के 0.50 प्रतिशत की इस अतिरिक्त उधार सीमा का लाभ नहीं उठाया, क्योंकि (मई 2023) में भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अन्तर्गत मांगी गई सहमति का घटकवार विवरण भारत सरकार को अग्रेषित करते समय राज्य सरकार ने जी एस डी पी के 0.50 प्रतिशत की इस अतिरिक्त उधारी का उल्लेख नहीं किया।

1.5 लेखापरीक्षा परीक्षण के बाद घाटे तथा कुल ऋण

एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को राजकोषीय संकेतकों जैसे घाटा, ऋण तथा गारंटी की सीमा आदि के लिए निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों में राज्य के लिए गणना किया गया राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा प्रभावित होता है।

1.5.1 लेखापरीक्षा के उपरांत - घाटा

राज्य के वित्त की बेहतर तस्वीर पेश करने के लिए, राज्य कभी-कभी राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं और बजट से बाहर राजकोषीय संचालन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, स्पष्ट देनदारियों का स्थगन, आकस्मिकता निधि की गैर-प्रतिपूर्ति, उपकर / रॉयल्टी को समेकित निधि में जमा नहीं करना, नई पेंशन योजना में कम योगदान, रिडेम्पशन फंड आदि का भी राजस्व और राजकोषीय घाटे के आंकड़ों पर असर पड़ता है। वास्तविक घाटे के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए, राजस्व व्यय/पूंजी परिव्यय के गलत वर्गीकरण और/या ऐसे किसी भी गलत वर्गीकरण के प्रभाव को शामिल करने की आवश्यकता है और ऐसी अनियमितताओं के प्रभाव को उलटने की जरूरत है। लेखापरीक्षा में परीक्षण के बाद घाटे का विश्लेषण तालिका-1.6 में दिया गया है।

तालिका-1.6: वर्ष 2023-24 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा जांच के बाद राजस्व और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव [न्यूनदर्शित (+)/ अतिदर्शित (-)]	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव [न्यूनदर्शित(+)/ अतिदर्शित (-)]	प्रस्तर संदर्भ
गारंटी कमीशन शुल्क का लोक लेखे में हस्तांतरण न करना	(-) 0.23	(+) 0.23	2.8.2.4
राजस्व व पूंजीगत व्यय के मध्य गलत वर्गीकरण	(-) 543.16	--	2.6.3.2 (iii)
आरक्षित निधि और जमा तथा अग्रिमों के विरुद्ध ब्याज देनदारियों का अतिरिक्त भुगतान करना	(-) 5.43	(+) 5.43	4.1
नई पेंशन योजना में कम योगदान	(-) 25.36	(+) 25.36	2.6.2.4
केन्द्रीय सड़क एवं अवस्थापना निधि का लेखांकन न किया जाना	(-) 109.70	(-) 153.56	4.3.1 (ग)

विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव [न्यूनदर्शित (+)/ अतिदर्शित (-)]	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव [न्यूनदर्शित(+)/ अतिदर्शित (-)]	प्रस्तर संदर्भ
हरित ऊर्जा उपकर का हरित ऊर्जा निधि में हस्तांतरण न किया जाना	(-) 80.00	(+) 80.00	एन टी एफ ए का प्रस्तर 5(ब)(vii)
2023-24 के दौरान आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति न होना	(-) 228.33	(+) 308.81	एन टी एफ ए का प्रस्तर 4
पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता राशि की अनुचित बुकिंग	(-) 76.25	(-) 76.25	एन टी एफ ए का प्रस्तर 5(ब)(xi)
योग	(-) 1,068.46	(+) 190.02	

स्रोत: वित्त लेखे और लेखापरीक्षा विश्लेषण।

उपर्युक्त सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, राजस्व अधिशेष ₹ 3,341 करोड़ से घटकर ₹ 2,273 करोड़ रह जाएगा और राजकोषीय घाटा ₹ 7,749 करोड़ (पैरा 1.4.1 देखें) से बढ़कर ₹ 7,939 करोड़ (स रा घ उ का 2.29 प्रतिशत) हो जाएगा, जो फिर भी एफ आर बी एम अधिनियम 2005 (2023 में संशोधित) में 3.00 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य के अंदर ही रहेगा।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने सहमति व्यक्त की और उचित कार्रवाई करने की बात कही। केंद्रीय सड़क निधि, हरित ऊर्जा उपकर के संबंध में सरकार ने कहा कि भविष्य में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आरक्षित निधियों और जमा एवं अग्रिमों के प्रति ब्याज देनदारियों का भुगतान न करने और नई पेंशन योजना के प्रति कम योगदान के संबंध में, सरकार ने सहमति व्यक्त की तथा आंकड़ों के सत्यापन के बाद अनुपालन के लिए नोट किया।

1.5.2 लेखापरीक्षा के उपरांत - कुल लोक ऋण

व्यापक परिभाषा में सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण में निम्न ऋण सम्मिलित हैं:

- सरकार से ऋण (केंद्रीय, सामाजिक सुरक्षा निधियाँ, और अतिरिक्त बजटीय निधियाँ सहित);
- वित्तीय सार्वजनिक उद्यम से ऋण (केंद्रीय बैंक सहित) और गैर-वित्तीय सार्वजनिक उद्यमों से ऋण;
- सरकार के दीर्घकालिक दायित्व, जैसे सामाजिक सुरक्षा निधि की अप्रदत्त देनदारियाँ (जब उन्हें स्पष्ट रूप से सामान्य सरकारी ऋण के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है);

- आकस्मिक देनदारियों की ज्ञात और प्रत्याशित मान्यता (जैसे, वित्तीय संस्थानों के चल रहे पुनर्गठन से या सार्वजनिक-निजी भागीदारी से जहाँ माँग या अन्य प्रतिभूतियाँ शुरू हो चुकी हैं या होने वाली हैं।

ऋण स्थिरता का आकलन करने के लिए, आदर्श रूप से, व्यापक लोक ऋण कवरेज महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, सकल ऋण एक उपयुक्त अवधारणा है क्योंकि यह ऋण सेवा दायित्वों के वित्तपोषण के बोझ को मापता है जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। चल वित्तीय परिसंपत्तियों की उपलब्धता ऋण स्थिरता के जोखिमों को कम करती है, लेकिन समाप्त नहीं कर सकती है (जैसे कि मुद्रा या परिपक्वता में भिन्नता और सामान्य सरकारी संचालन के लिए परिसंपत्तियों के कुछ न्यूनतम स्तर की आवश्यकता होती है)।

जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, राज्य सरकार की ओर से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहन (वि प्र वा) आदि द्वारा उधार लेने जैसे ऑफ-बजट राजकोषीय प्रचालन का कोई मामला नहीं था, जहाँ मूलधन और/या ब्याज का भुगतान राज्य के बजट से किया जाना है।

उत्तराखण्ड एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार, कुल बकाया ऋण/देनदारियों का तात्पर्य केवल राज्य की समेकित निधि और लोक लेखे के अन्तर्गत देनदारियाँ हैं। बकाया ऋण/देनदारियों को विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है जैसा की तालिका-1.7 में दिया गया है।

तालिका-1.7: 31 मार्च 2024 तक बकाया ऋण/देनदारियों के घटक

वित्त लेखा के अनुसार उधार और अन्य देनदारियाँ	धनराशि (₹ करोड़ में)	
	लेखापरीक्षा - पूर्व	लेखापरीक्षा-पश्च
आंतरिक ऋण (अ)	57,378.79	57,378.79
ब्याज युक्त बाजार ऋण	48,710.00	48,710.00
ब्याज मुक्त बाजार ऋण	0.02	0.02
क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	0.77	0.77
अन्य संस्थाओं आदि से ऋण	4,136.31	4,136.31
केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	4,531.69	4,531.69
केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम (ब)	10,581.95	4,932.92
आयोजनेत्तर ऋण	1.37	1.37
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	326.00	326.00
अन्य	10,254.58	4,605.55 ⁵

⁵ वित्त वर्ष 2021-22 तक जी एस टी मुआवजे की कमी के बदले बैंक-टू-बैंक ऋण (₹ 5,649.03 करोड़) के संचय के कारण ₹ 5,649.03 करोड़ का अंतर है।

वित्त लेखा के अनुसार उधार और अन्य देनदारियाँ	धनराशि (₹ करोड़ में)	
	लेखापरीक्षा - पूर्व	लेखापरीक्षा-पश्च
लोक लेखा पर देनदारियां (स)	17,954.06	17,954.06
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	9,671.23	9,671.23
जमा	4,463.33	4,463.33
आरक्षित निधियाँ	3,819.50	3,819.50
योग (अ+ब+स)	85,914.80	80,265.77

स्रोत: वित्त लेखे

वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में कुल उधार और देनदारियों में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण (67 प्रतिशत), भारत सरकार से ऋण और अग्रिम (12 प्रतिशत) और लोक लेखे के अन्तर्गत देनदारियां (21 प्रतिशत) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023-24 के अंत में, राज्य की कुल देनदारियां स रा घ उ का 24.82 प्रतिशत थीं जो एम टी एफ पी विवरण के अन्तर्गत 24.91 प्रतिशत के मानक मूल्यांकन के भीतर और वर्ष 2023-24 के लिए राज्य एफ आर बी एम अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित 33.10 प्रतिशत के मानदंडों के भीतर थीं।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका-1.7 से देखा जा सकता है, वर्ष 2023-24 के दौरान कुल उधार और देनदारियां ₹ 5,649 करोड़ (स रा घ उ का 1.63 प्रतिशत) से अधिक बताई गई थीं। यह जी एस टी मुआवजे के बदले में भारत सरकार से (2020-21 और 2021-22 के दौरान) प्राप्त ₹ 5,649 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋण को शामिल करने के कारण था, जिसे राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था क्योंकि इसका पुनर्भुगतान भारत सरकार द्वारा जी एस टी मुआवजा निधि में उपकर के संग्रह से किया जाना था और इसलिए, पुनर्भुगतान राज्य के संसाधनों से वहन नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बैक-टू-बैक ऋण का गैर-लेखांकन भी कुल उधार और देनदारियों को ₹ 5,649 करोड़ की सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है। इसे घटाने पर ऋण - स रा घ उ अनुपात घटकर स रा घ उ का 23.18 प्रतिशत हो जाएगा।

1.6 निष्कर्ष

- राज्य को वर्ष 2019-20 में ₹ 2,136 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ था जो वर्ष 2020-21 में सुधार कर ₹ 1,114 करोड़ के राजस्व अधिशेष में परिवर्तित हो गया। आगे राजस्व अधिशेष में वर्ष 2020-21 और 2022-23 में क्रमशः ₹ 4,128 करोड़ व ₹ 5,310 करोड़ तक सुधार हुआ। चालू वर्ष के दौरान राज्य को ₹ 3,341 करोड़ (स रा घ उ का 0.97 प्रतिशत) का राजस्व अधिशेष प्राप्त हुआ। एन पी एस में कम योगदान, केंद्रीय सड़क निधि का लेखांकन न करना, हरित ऊर्जा उपकर को

हरित ऊर्जा निधि में स्थानांतरित न करना, आकस्मिकता निधि की वसूली न करना, लोक लेखे में प्रत्याभूति के कम हस्तांतरण/हस्तांतरण न किए जाने, एस ए एस सी आई के अनुचित प्रयोग के कारण राजस्व अधिशेष ₹ 1,068 करोड़ (31.97 प्रतिशत) से अधिक बताया गया।

- चालू वर्ष के दौरान ₹ 7,749 करोड़ (स रा घ उ का 2.24 प्रतिशत) का राजकोषीय घाटा, वर्ष 2023-24 के लिए एफ आर बी एम अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स रा घ उ के 3.0 प्रतिशत के मानक लक्ष्य के भीतर था। वर्ष के दौरान, राजस्व अधिशेष में कमी के कारण राजकोषीय घाटा बढ़ा। एन पी एस में कम योगदान, हरित ऊर्जा उपकर को हरित ऊर्जा निधि में हस्तांतरित न करने, आकस्मिकता निधि की वसूली न करने, लोक लेखे में प्रत्याभूति के कम हस्तांतरण/हस्तांतरण न किए जाने, एस ए एस सी आई के अनुचित प्रयोग के कारण के कारण राजकोषीय घाटा ₹ 190 करोड़ (2.45 प्रतिशत) कम बताया गया। यदि ₹ 190 करोड़ के कमी को जोड़ा जाये तो, राजकोषीय घाटा ₹ 7,749 करोड़ से बढ़कर ₹ 7,939 करोड़ (स रा घ उ का 2.29 प्रतिशत) हो जाता, जो तब भी एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 (2023 में संशोधित) में 3.00 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य के भीतर होगा।

1.7 संस्तुति

- *राज्य सरकार राजस्व व्यय/पूंजीगत परिव्यय के गलत वर्गीकरण से बचने के लिए उचित कदम उठा सकती है, प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सड़क निधि का उचित लेखांकन शुरू कर सकती है, आरक्षित निधि में अनिवार्य अंशदान कर सकती है, और उपकर को अपने नामित निधि में स्थानांतरित कर सकती है ताकि सही वित्तीय स्थिति दर्शाई जा सके।*